भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1616
13/02/2026 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों के कल्याण हेतु योजनाएं
1616. श्री रामजी लाल सुमनः
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वर्तमान में किसानों के कल्याण के लिए कितने प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं में व्यय की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राजसहायता के रूप में कितनी धनराशि संवितरित की गई है; और
(घ) क्या सरकार इन योजनाओं के अंतर्गत व्यय/राजसहायता को सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित करने पर विचार कर रही है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों की एक व्यापक श्रृंखला कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं में कृषि के सभी क्षेत्र जैसे; ऋण, बीमा, आय सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर, बागवानी सहित फसलें, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद और डिजिटल कृषि शामिल हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों को सब्सिडी और अन्य लाभ प्रदान करने वाली योजनाओं की सूची **अनुबंध I** में संलग्न है।

पिछले तीन वर्षों में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में व्यय की गई राशि और वितरित की गई सब्सिडी का विवरण **अनुबंध II** में दिया गया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं में, पारदर्शिता सुनिश्चित करने, भ्रष्टाचार को कम करने तथा किसानों को समय पर लाभ पहुंचाने के लिए, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के तहत वित्तीय और सब्सिडी सहायता सीधे पात्र किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है। सरकार राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के परामर्श से निरंतर इन योजनाओं की समीक्षा कर रही है और जहां भी संभव हो, डीबीटी के दायरे को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है।

अनुबंध 1

सरकार द्वारा राज्यों को कृषि क्षेत्र में सहायता प्रदान करने हेतु कार्यान्वित योजनाओं की सूची

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
4. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
5. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
8. नमो ड्रोन दीदी
9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
11. कृषि निधि (एग्रीश्योर)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
13. कृषि मंशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
14. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
15. सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एसएचएंडएफ)
16. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
20. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
22. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) – ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन
29. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना
30. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

अनुबंध II

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अंतर्गत उपयोग की गई निधियों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

अनुदान संख्या 1-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग				
क्र.सं.	**मिशन/योजना का नाम**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-एनसीआईपी	10296.03	12948.50	14473.46
2	संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)	17997.89	14251.93	22600.00
3	बाजार हस्तक्षेप योजना/मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस/पीएसएस) का कार्यान्वयन	4007.00	-	22.59
4	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)	-	2200.00	5437.99
5	कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में दलहन का वितरण	166.21	446.30	246.62
6	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	58253.82	61440.74	66121.2
7	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई)	12.50	100.00	100.00
8	किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन	124.19	428.86	474.24
9	कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष	147.12	475.23	725.34
10	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम)	-	22.50	66.50
11	नमो ड्रोन दीदी	-	-	1.48
12	कृषि उपज मूल्य श्रृंखला से संबंधित कृषि और ग्रामीण उद्यमों के लिए स्टार्टअप वित्तपोषण हेतु मिश्रित पूंजी सहायता	-	-	62.50
13	कृषि अवसंरचना एवं विकास कोष में अतिरिक्त अंतरण	-	5000.00	6000.00
	वसूली	-	-	-320.27
	कुल-केंद्रीय क्षेत्र योजना	**91004.75**	**97314.06**	**116011.65**
II - केंद्र प्रायोजित योजनाएँ				
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	5247.44	5760.93	7386.14
2	राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन	-	30.19	10.35
3	कृष्णोन्नति योजना	4715.95	5736.22	5599.70
	वसूली	-	-	-244.29
कुल केंद्र प्रायोजित योजनाएँ		**9963.38**	**11527.34**	**12751.90**
कुल	**योजना**	**100968.13**	**108841.4**	**128763.55**
1	स्थापना एवं अन्य केंद्र क्षेत्रीय व्यय	604.41	1442.24	1169.92
	वसूली	-	-	-0.68
अनुदान संख्या 1 (योजना + गैर-योजना)		**101572.54**	**110283.64**	**129933.47**

*****